शीर्षक केविएट प्रार्थना पत्र 148 ए सीपीसी (सरफेसी एक्ट) प्रकरण संख्या [illegible]/2021 (CCMS 2021/177) इन्द्राज ज्याणी पुत्र श्री रिडमूल राम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर–01, 52 एलएनपी, मांझूवास, नरसिंहपुरा बरानी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> **पंजाब नेशनल बैंक**, क्षत्रिय कार्यालय, एस सी सी मीरा चौक, श्रीगंगानगर

[illegible].2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी अभिभाषक श्री जितेन्द्र पराशर ने वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रकरण के सम्बन्ध में यह कैविएट प्रार्थना अन्तर्गत धारा 148 सीपीसी के तहत पंजाब नेशनल बैंक के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता को कैविएट प्रार्थना पत्र के एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस के निर्माण हेतु खाता संख्या 1906300001342 एवं 1906300001854 में अप्रार्थी बैंक से ऋण लिया गया था जो कि वेयर हाउस के निर्माण हेतु लिया गया था जिसका मै. ज्याणी एग्रोटेक के नाम से प्रार्थी फर्म का एकल स्वामी है। उक्त ऋण के सम्बन्ध में प्रार्थी को नाबार्ड से सब्सीडी भी आनी थी जो लगभग 25 से 30 लाख रूपये के मध्य थी। अप्रार्थी बैंक द्वारा उक्त ऋण के संबंध में सब्सीडी हेतु जो भी औपचारिकताऐं पूर्ण करनी थी वह औपचारिकताएं पूर्ण कर ली परन्तु प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त सब्सीडी हेतु नाबार्ड को प्रेषित नहीं की जिस कारण सब्सीडी की राशि प्राप्त नहीं होने के उपरांत ऋण में समायोजित नहीं हुई, जिस संबंध में प्रार्थी ने विधिक नोटिस प्रेषित किया लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। EQM of all part and parcel of industetial land and building (warehouse) situated at Sq. No. 27, Stone no. 41!277, killa no. (0-139 Hec.) and Kill No. 7(0.253 Hec.) Total 0.392 Hec or 3920 S[illegible]k 5 DBN, Tehsil Suratgarh in the name on Indraj S/o Ridmal Ram and EQM of all part and parcel of residential property situated at Khata No. 196&190, S[illegible] 40/255 (38) , Killa [illegible]1 & 5/1,Chak 36 MOD (Kenchiya) NH 62, Near S[illegible] Bank Branch (Kench[illegible]) Tehsil Pilobanga, Hanumangarh as per bank record measuring 4032 Sqft in the name of Naresh Kumar की सम्पति है। ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला [illegible]
की [illegible]

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सही तथ्यों को बताये बिना ही प्रार्थी की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने जा रहा है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर किसी भी सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सुना जावे।

मैंनें उक्त बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक प्राथी इन्द्राज ज्याण के विरूद्ध अभी तक कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 व्यवहार संहित प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं? **वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है इसलिए वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही कैविएट प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है अन्य किसी साधारण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत कैविएट प्रार्थना पर विचार नहीं हो सकता। अतः** इस सम्बन्ध मे **वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों का अवलोकन करना आवश्यक होगा जिसकी धारा 18 सी(1) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है :**

> **18C. Right to Lodge a Caveat :**
> **(1) Where an application or an appeal is expected to be made or has been made under sub-section(1 of section 17 or section 17A or sub-section1) of section 18 or section 18B, the secured creditor or any person claiming a right to appear before the Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court as the case may be, on the hearing of such application or appeal, may lodge a caveat in respect thereof.**
> (2) ………………….

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि सरफेसी एक्ट 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम की उक्त धारा 18सी के तहत Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court के समक्ष ही कैविएट प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार से कैविएट प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश करने का कोई कानूनी प्रावधान विद्यमान नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का कैविएट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। कैविएट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:13 IST
Reason: SelfAttested